भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3221

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीमा–पार से जबरन वसूली

3221. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने संयुक्त राज्य अमरीका में रह रहे भारतीय मूल के एक परिवार के सीमा–पार से जबरन वसूली से जुड़े कथित मामले में पंजाब पुसिल के एक कार्यरत अधिकारी को नामजद किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार को अमरीकी प्राधिकारियों से कोई औपचारिक पत्र, सूचना मांगने का अनुरोध या प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार को विदेशों से संचालित हो रहे अपराध के संगठित गिरोहों के साथ मिलीभगत, जबरन वसूली या संरक्षण गिरोहों में पंजाब के कार्यरत पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में कोई अन्य शिकायतें या आसूचना संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है और यदि हां, तो राज्य पुलिस बल की संस्थागत शुचिता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक और निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि अमरीकी न्याय विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) द्वारा 7 जुलाई 2026 को "ऑपरेशन हार्ड बॉल" नामक विधि प्रवर्तन कार्रवाई तथा उससे संबंधित अभियोगों के सिलसिले में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान, ये आरोप लगाए गए थे कि भगवानपुरिया ट्रांसनेशनल आपराधिक

सिंडिकेट के सदस्यों ने अमरीका में बसे एक भारतीय मूल के परिवार से जबरन वसूली की योजना के संबंध में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी के साथ मिलकर षड़यंत्र रचा था।

जालंधर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कार्यालय द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से थाना टांडा के थाना प्रभारी (एसएचओ) पद से कार्यमुक्त कर दिया गया था। जांच के उपरांत, उक्त अधिकारी को 17 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उक्त अधिकारी के प्रत्यर्पण हेतु अमरीकी प्राधिकारियों से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
